



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट: 06-06-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा खड़ीत हत्याकाण्ड मु0अ0सं0 138/2021 धारा 302 भादवि के अभियुक्तगण 1. संजू पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 खड़ीत थाना जसराना फिरोजाबाद 2.सौरभ पुत्र गजेन्द्र सिंह नि0 धातरी थाना सिरसागंज को मय आलाकत्ल किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.06.2021 को चैकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति तलाश वाँछित अपराधीगण में थाना जसराना के मु0अ0सं0 138/2021 धारा 302 भादवि के वाँछित अभियुक्तगण 1. संजू पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 खड़ीत थाना जसराना फिरोजाबाद 2.सौरभ पुत्र गजेन्द्र सिंह नि0 धातरी थाना सिरसागंज फिरोजाबाद को खड़ीत नहर राजकुमार के बाड़े के पास से गिरफ्तार किया गया। वाद पूछताछ अभियुक्तगणों की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आलाकत्ल (01 अदद छुरा) भायपुर जाने वाले कच्चे रोड पर कीकड़ की झाड़ियों से बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- संजू पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 खड़ीत थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- सौरभ पुत्र गजेन्द्र सिंह नि0 धातरी थाना सिरसागंज फिरोजाबाद ।

बरामदगी-

- एक अदद आलाकत्ल नाजायज छुरा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजू उपरोक्त-

- मु0अ0सं0 414/2020 धारा 147/148/149/323/307/34 भादवि
- मु0अ0सं0 138/2021 धारा 302 भादवि

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उपरोक्त-

- मु0अ0सं0 138/2021 धारा 302 भादवि

विवरण पूछताछ अभियुक्तगण-

सन्जू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खड़ीत थाना जसराना फिरोजाबाद उम्र करीब 44 वर्ष ने पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि साहब मैं व सौरभ आपस में दोनो दोस्त हैं मेरी यादराम से चुनाव को लेकर रंजिश चली आ रही थी मैं यादराम के परिवार वालो से काफी दिनों से रंजिश मानता चला रहा था यादराम के परिवार वाले कई बार से

प्रधान रह रहे हैं तथा मेरे दोस्त सौरभ पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी धातरी थाना सिरसागंज फिरोजाबाद जो मेरे गाँव के पास वाले गाँव जीशकपुर में अपने मौसा सोरन सिंह के यहाँ रहता था वही से हमारी दोस्ती हो गयी थी यादराम की लडकी अंजली से जबरदस्ती फोन करके बात करता था उसे धमकी देता था कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो तेरे बाप को मार दूँगा शादी का दबाव बना रहा था मृतक यादराम ने अपनी पुत्री अंजली की शादी अपने दामाद कमलकान्त के कहने पर अंकुर निवासी रनमोरचा कासगंज से तय की थी जब सौरभ को इस बात का पता चला तो सौरभ ने कमलकान्त व अंकुर के फोन पर धमकी दी। सौरभ यादराम से रंजित मानने लगा था सौरभ यादराम की पुत्र वधू नीलम पर भी जबरदस्ती फोन कर वार्ता करता था सौरभ व मेरा एक ही दुश्मन होने की वजह से हम दोनों ने यादराम को हटाने का सोचा था और दिनांक 12.04.21 की रात्रि में करीब 02.00 बजे हम दोनों ने यादराम को सोते समय चाकू से गला गोदकर हत्या कर दी थी मैंने यादराम के पैर पकड़े थे व सौरभ ने चाकू से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी थी और चाकू थोड़ी दूर बुर्जी व झाड़ियों की आड़ में छिपा दिया था जिसको हमने बरामद करा दिया है जब सुबह पुलिस वहाँ पहुँची थी तो हम दोनों भी वहाँ थे लेकिन डांग स्ववायड आने पर हम वहाँ से खिसक आये थे जो सही बात थी मैंने आपको बता दी है गलती हो गयी माफ कर दे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री बी.डी. पाण्डेय थाना जसराना फिरोजाबाद।
- उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद।
- का0 685 अखिल कुमार थाना जसराना फिरोजाबाद।
- का0 का0 291 रोहित चौधरी थाना जसराना फिरोजाबाद।
- का0 77 रुपक कुमार थाना जसराना फिरोजाबाद।
- का0 1108 अभिषेक बच्चस थाना जसराना फिरोजाबाद।